|| || निग/3792-I-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म0 प्र0)

निग/3792-I-15

प्रकरण क्रमांक : /2015 निगरानी

1- अतिशा तिवारी उर्फ विट्टू पुत्र श्री दीपक तिवारी, आयु 23 वर्ष

2- राकेश कुमार तिवारी पुत्र स्व0 श्री महेशकुमार तिवारी उर्फ हुक्कूजी तिवारी, आयु 46 साल, व्यवसाय कृषि

3- शारद तिवारी पुत्र कैलाश तिवारी, आयु 38 वर्ष व्यवसाय-कृषि

4- प्रवीण तिवारी पुत्र श्री शम्भूदयाल आयु 30 वर्ष, व्यवसाय -कृषि निवासीगण - मातापुरा सिरोज चौराहा गंज बासौदा जिला विदिशा

----निगरानीकर्तागण

श्री आर. बी. शर्मा अभिभाषक द्वारा दिनांक 20-11-15 को प्रस्तुत।

S.O 20-11-15

R.Bh 20-11-15

बनाम

डाक्टर रमेश गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री डी.सी.गुप्ता निवासी मैन बसैठ रोड गंज बासौदा जिला विदिशा म प्र.

--रेस्पोडेन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू- राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 29.10.2015 न्यायालय तहसीलदार बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 8/ए-70/14-15 व माम ले रमेश गुप्ता बनाम अतिशा तिवारी मे पारित आदेश के विरुद्ध।

=====

माननीय न्यायालय

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तु

संक्षिप्त तथ्य :-

R.Bh

(4)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3792–एक/15 जिला – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.12.2015	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 बी0 शर्मा उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में तहसीलदार तहसील बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 8/अ–70/14–2015 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29.10.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2– मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया है आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वही तथ्य दोहराये गये है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लेख किया गया है । उनके द्वारा बताया गया है कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 का आवेदन निरस्त कर दिया गया है तथा उनके द्वारा यह नहीं बताया गया है कि आवेदन किन कारणों से निरस्त किया गया है । अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों के साथ तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत धारा–250 के आवेदन पत्र की सत्यप्रतिलिपि इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है । अभी तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है तथा वहां पर उभयपक्ष के कोई हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं । तथा उनको	

वहां। पर अपनी बात कहने का अवसर भी है ।

3– अतः निगरानी सारहीन होने से अग्राह् की जाती है । पक्षकार सूचित हों । इस न्यायालय के आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे । प्रकरण दा0 द0 हो ।

सदस्य